प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **41/2026** (अपील सूचना का अधिकार)

Devnarayan Meena Add: G-4, Jai Shreeram Apartment, sector 14, Hiran Magri, Udaipur

...............**अपीलार्थी**

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाड़ा

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/02/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329265652844106 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षूब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1133767760 दिनांक 22.01.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/41/26/143–45 दिनांक 22.01.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ./प्र.अ.स./41/2026/116–17 दिनांक 28.01.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहते हेतु दिनांक 19.12.2025 को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 2791065499 दिनांक 19.12.2025 द्वारा ऑनलाईन उक्त कार्यालय को अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया है कि वांछित सूचना प्राप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता शेष नहीं है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-02-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर